राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

क्रमांक : एफ–8 / तरणताल / 2023–24 / 10412 दिनांक : 20/3/23

ई–निविदा सूचना संख्या 46 / 2022–23

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से **सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर स्थित अन्तर्राष्ट्रीय, सर्वकालिक एवं मिनी तरणताल के संचालन एवं रख–रखाव हेतु** इच्छुक राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में नियमानुसार पंजीकृत ठेकेदारों / उपयुक्त एजेन्सियों से निर्धारित प्रपत्र में द्वि–प्रक्रमी बोली यथा तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन ई–निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। संबधित पूर्ण विवरण वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in तथा www.rssc.in पर देखा जा सकता है।

विवरण	:	अनुमानित लागत एवं विवरण
1. अनुमानित लागत:– (i)अन्तर्राष्ट्रीय तरणताल(कार्य अवधि– एक वर्ष) (ii)सर्वकालिक तरणताल(कार्य अवधि– एक वर्ष) (iii) मिनी तरणताल(कार्य अवधि–छह माह)		 10.00 लाख रूपये 10.00 लाख रूपये 4.00 लाख रूपये **कुल योग राशि 24.00 लाख रूपये**
2. निविदा डाउनलोड प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	:	दिनांक 21.03.2023 से समय 10:00 AM
3. निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	दिनांक 04.04.2023 को दोपहर 3:00 बजे तक
4. तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	दिनांक 05.04.2023 को दोपहर 1:00 बजे

क्र. सं.	शुल्क का विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	जमा कराने की दिनांक	देय
1	निविदा शुल्क	1000 / – रूपये	डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक	दिनांक 04.04.2023 दोपहर 02:00 बजे तक	सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर
2	धरोहर राशि	अनु. लागत का 2 प्रतिशत राशि रूपये 48000 / –	डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक		सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर
3	ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क	500 / – रूपये	डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक		Managing Director RISL (Payable at Jaipur)

शुल्क एवं अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर कार्यालय में **दिनांक 04.04.2023 समय दोपहर 2:00 बजे तक** पत्र के साथ ऑफलाईन जमा कराने होंगे जिस पर निविदा के कार्य का नाम, ई–निविदादाता का नाम, डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक इत्यादि स्पष्ट अंकित करें। जिन निविदादाताओं के उपरोक्त वांछित राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक निर्दिष्ट समय तक प्राप्त नहीं होंगें, उन ई–निविदादाताओं की टैक्निकल बिड़ नहीं खोली जावेगी। टैक्निकल बिड़ में सफल घोषित निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड़ खोली जावेगी ।

किसी भी निविदा, निविदा के अंश अथवा सम्पूर्ण निविदा को बिना किसी सूचना एवं कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार परिषद के पास सुरक्षित रहेगा।

आवेदनकर्ता के पास वैद्य डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट–(DSC) जो कि Class-III का होना आवश्यक है, जिसको DSC eproc.rajasthan.gov.in की Website पर रजिस्टर्ड करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हैल्पडेस्क (eproc-cell) 0141–4022688 or mail eproc@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

सचिव

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जनपथ, जयपुर
कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

बोली शुल्क रूपये 1000/–
बोली प्रक्रिया शुल्क रूपये 500/–

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय :– ....समय दोपहर 3:00 बजे तक
तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय :– .... समय सांय 5:00 बजे

ई–बोली संख्या ....46......../2022–23 दिनांक

कार्य का नाम :– सवाई मानसिंह स्टेड़ियम जयपुर स्थित अन्तर्राष्ट्रीय, सर्वकालिक एवं मिनी तरणताल के संचालन एवं रख–रखाव हेतु

1. ई–बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का स्थाई पता, ई–मेल एवं मोबाईल नं0 ....
2. ई–बोलीदाता का पैन नं. :– ....(प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)
3. जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन नं. .... (प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)
4. बोली प्रपत्र शुल्क की राशि रूपये 1000/– मात्र तकनीकी बोली खोलने से पूर्व ऑफ लाईन डी0डी0/बैंकर्स चैक जो कि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के नाम देय हो, द्वारा जमा करानी होगी। डी.डी./बैकर चैक संख्या..................... दिनांक .... बैक का नाम ....
5. बयाना राशि के पेटे राशि रूपये ..../– जरिये बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के नाम देय हो, द्वारा जमा करानी होगी। (तकनीकी बिड के साथ डी.डी./बैकर्स चैक की प्रति अपलोड की जानी आवश्यक है।) इसके अभाव में कोई भी बोली स्वीकार नहीं की जावेगी। डी.डी./बैकर्स चैक संख्या .... दिनांक .... बैक का नाम ....
6. ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क राशि रूपये 500/– का डी0डी0/बैंकर्स चैक जो कि MD. RISL, Jaipur के पक्ष में देय होगा, संलग्न है। डी.डी./बैकर चैक संख्या .... दिनांक ....बैक का नाम.......
7. बोली जिसे सम्बोधित की जानी है :– सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर।
8. तकनीकी बिड/वित्तीय बिड विधिवत ऑन–लाईन प्रस्तुत करनी होगी।
9. जी. एस. टी देयता प्रमाण–पत्र की प्रति **दिसम्बर, 2022** तक को संलग्न करना आवश्यक है।
10. तरणताल के संचालन एवं रख–रखाव का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
11. निविदादाता/फर्म का विगत 3 वित्तीय वर्ष (2019–20, 2020–21 एवं 2021–22) में औसत वार्षिक टर्न ओवर 24.00 लाख से कम नही होना चाहिये। इस हेतु बोलीदाता को उक्त वर्षो का सीए से प्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति मय यूडीआई नम्बर सहित संलग्न करनी होगी।
12. निविदादाता/फर्म का गत 5 वर्षो (2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22) में से किसी भी एक वित्तीय वर्ष में राजकीय/अर्द्धशासकीय/स्वायतशाषी संस्था में किये गये तरणताल के सफल संचालन एवं रख–रखाव कार्य का किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम राशि रूपये 9.00 लाख रूपये का एकल कार्य आदेश अथवा किसी भी एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख के दो कार्यादेश या 4.00 लाख के तीन कार्यादेश का अनुभव होना आवश्यक होना चाहिए। इसके प्रमाणीकरण हेतु कार्यादेश एवं कार्य के सन्तोषजनक होने का प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होगे।
13. दरें केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा देय समस्त करों यथा जी. एस. टी. या अन्य कोई कर सहित देनी होगी।
14. संचालन एवं रख–रखाव कार्यो का विवरण :–

Scanned with OKEN Scanner

(क) सामान्य सफ़ाई कार्यो का विवरण :–

1. तरणताल के भूतल, कोरीडोर इत्यादि की सफाई का कार्य व पोचा (सुबह 6.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक दोनों पारियों में) प्रतिदिन लगाना होगा। सफाई कार्यो में फिनाईल साबुन के पानी का घोल का उपयोग करना होगा। तरणतालों पर यदि कोई प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तो यह कार्य दिन में आदेशानुसार दो बार करना होगा।
2. उक्त बिन्दु–1 की सफाई कार्य में प्रयुक्त वांछित सफाई सामग्री यथा फिनायल, साबुन के पानी का घोंल, फिनायल की गोलियां, एसिड, सफाई हेतु पाउडर, लिक्विड सोप की व्यवस्था निविदादाता को अपने स्तर पर करनी होगी।
3. तरणताल की सफाई करने के पश्चात कूडा करकट एवं कचरें को उचित स्थान पर निस्तारित किये जाना सुनिश्चित करेगें तथा उसे भवन परिसर के बाहर उचित स्थान पर डालने की व्यवस्था करनी होगी।
4. तीनों तरणताल पर अधिकारियों के निर्देशानुसार लाईट की व्यवस्था संवेदक द्वारा ही की जावेगी।
5. मिनी तरणताल के 6 माह के संचालन के बाद अगले 6 माह बंद रहेगा जिसमें संवेदक द्वारा साफ–सफाई एवं देखरेख का कार्य किया जावेगा। जिसका अलग से भुगतान देय नहीं होगा।
6. तरणताल परिसर में स्थित शौचालय, चैन्जिंग रूम एवं परिसर की साफ–सफाई के लिये बोलीदादाता उत्तरदायी होगा।

(ख) तरणताल की सफाई का विवरण

1. तरणताल परिसर की नियमित सफाई करनी होगी व पानी की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पी.एच.–7 रखनी होगी। गुणवत्ता बनाये रखने हेतु आवश्यक रसायन जैसे क्लोरीन लिक्विड, फिटकरी, कॉपर सल्फेट, (Cuso4) एवं फैरस सल्फेट (FC So 3) पोटेशियम परमैग्नेट, टी.सी.सी. एवं एन्टीऐल्गी कैमिकल्स आदि का प्रयोग निश्चित रूप से करना होगा, जिसकी व्यवस्था निविदादाता को अपने स्तर पर करनी होगी।
2. पानी की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु समय–समय बैक्टेरियल और पी.एच. वैल्यू रेजीड्यूल क्लोरीन टेस्ट करना होगा। शेष जॉच 15 दिन में एकबार करानी होगी।
3. पानी की गुणवत्ता हेतु किये जाने वाले परीक्षणों के परिणामों का संधारण पंजिका में करना होगा।
4. तरणताल के फर्श, दीवार इत्यादि के लिए प्रयोग में आने वाले रसायन भी उचित मात्रा में समय–समय पर डालने होगें, जिसकी व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी। तरणताल पर उपलब्ध पम्प इत्यादि काम में लिये जा सकेंगे। तरणताल के फर्श पर लगी निर्देश रेखायें ऊपर से साफ दिखनी चाहिए। सैक्शन मशीन चलाने हेतु प्रत्येक तरणताल पर कम से कम दो कर्मचारी प्रतिदिन होना आवश्यक है। किसी भी समय सैक्शन मशीन चलवाई जा सकती है।
5. अन्तर्राष्ट्रीय, सर्वकालिक एवं मिनी तरणताल पर लगे फिल्टर प्लांट काम में लेना होगा। फिल्टर प्लांट को चलाना एवं रख–रखाव भी करना होगा तथा इस हेतु आवश्यक चालक एवं मैकेनिकी की व्यवस्था भी करनी होगी। अगर किसी कारण प्लान्ट में टूट फूट होती है तो एवं इसके सुधार हेतु कलपुर्जो की कीमत रूपये 8000/– से अधिक होती है तो कलपुर्जो की कीमत परिषद द्वारा वहन होगी। किन्तु कलपुर्जे उपलब्ध कराने एवं प्लान्ट ठीक करवाना एजेन्सी का दायित्व होगा। कलपुर्जो का बिल परिषद को संबंधित अधिकारी से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा। जिसका भुगतान पृथक से किया जावेगा। कलपुर्जे मान्यता प्राप्त डीलर से खरीदें जायेंगे।
6. इसके अलावा तरणताल के संचालन एवं रख–रखाव के संबंध में सभी कार्य करने होगें जिससे तरणताल सुचारू रूप से चल सकें। तथा प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।
7. सर्दियो में सर्वकालिक तरणताल को चलाया जाता है, तो प्लांट में लगे बोयलर एवं हीटींग प्लांट को चलाने हेतु एक ऑपरेटर की आपूर्ति की जावेगी, जिसके लिए पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा।

(ग) तरणतालों पर जीवन रक्षकों (Life Guards) का प्रबंध :

1. अन्तर्राष्ट्रीय, सर्वकालिक एवं मिनी तरणताल पर निर्धारित समयों में प्रातःकाल एवं सायंकाल कम से कम दो–दो जीवन रक्षक (Life Guards) प्रत्येक तरणताल पर उपलब्ध कराने होगें। उपलब्ध

Scanned with OKEN Scanner

कराये गये जीवन रक्षक (Life Guards) परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता धारक होने चाहिए। जिसकी जांच परिषद के संबंधित अधिकारी/प्रशिक्षक करेंगे।

2. तरणताल में निर्धारित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानको की पालना की जावेगी। तरणताल में होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना के कारण होने वाली जनहानि एवं धनहानि के लिए जिम्मेदार ठेकेदार होगा। जीवन रक्षक (Life Guards) तरणताल पर निर्धारित पौशाक ही पहनेंगें, जो कि ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी।

(घ) तरणतालों पर प्लांट ऑपरेटर (Filter Plant) का प्रबंध :

1. अन्तर्राष्ट्रीय, सर्वकालिक एवं मिनी तरणताल पर निर्धारित समयों में प्रातःकाल एवं सायंकाल कम से कम एक–एक प्लांट ऑपरेटर (Filter Plant) प्रत्येक तरणताल पर उपलब्ध कराने होगें। उपलब्ध कराये गये प्लांट ऑपरेटर (Filter Plant) परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता धारक होने चाहिए। जिसकी जांच परिषद के संबंधित अधिकारी/प्रशिक्षक करेंगे।
2. तरणताल में निर्धारित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानको की पालना की जावेगी। तरणताल में होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना के कारण होने वाली जनहानि एवं धनहानि के लिए जिम्मेदार ठेकेदार होगा। प्लांट ऑपरेटर (Filter Plant) तरणताल पर निर्धारित पौशाक ही पहनेगें, जो कि ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी।

14. बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर करने होगें।

15. मैं/हम राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा जारी की गई इस बोली में वर्णित सभी शर्तो से तथा उक्त बोली की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। सभी पृष्ठों पर इसमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं। हम राज्य सरकार के उपापन संबंधी अधिनियम/नियम आदेश से आबद्ध होना स्वीकार करते है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

वित्तीय बिड (ऑनलाईन बीओक्यू में प्रस्तुत करनी होगी)

1. जॉब बेसिस पर सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में (सभी/GST कर सहित) प्रस्तुत की जायेगी :–

क्र. सं.	विवरण	निविदा की वार्षिक अनुमानित राशि	अवधि	दर (प्रतिमाह)	राशि (रूपयों में)
1	सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर स्थित अन्तर्राष्ट्रीय तरणताल के संचालन एवं रख–रखाव हेतु।	10.00 लाख	12 माह		
2	सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर स्थित सर्वकालिक तरणताल के संचालन एवं रख–रखाव हेतु।	10.00 लाख	12 माह		
3	सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर स्थित मिनी तरणताल के संचालन एवं रख–रखाव हेतु एवं सम्पूर्ण वर्ष का साफ–सफाई का कार्य।	4.00 लाख	6 माह		

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

बोली की शर्तें

विशेष टिप्पणी :– बोलीदाताओं को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी ई–बोलियां भेजते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए।

1. बोलीदाताओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से **तकनीकी एवं वित्तीय बिड अलग–अलग ऑन लाईन प्रस्तुत की जानी होगी।** तकनीकी रूप से सफल बिडर की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी रूप से अस्वीकृत बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. (अ) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना परिषद को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जावेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।

   (ब) संविदा के सम्बन्ध में फर्म के किसी भी नये भागीदार/भागीदारों का बोलीदाता द्वारा फर्म से सम्बन्ध स्वीकार नहीं किया जावेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं परिषद को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते प्राप्ति स्वीकृति के लिए बोलीदाता की रसीद को बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा ये संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति डिस्चार्ज होगी।
3. कोई भी डीलर यदि जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं देगा। इनके अभाव में बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा। जी. एस. टी. देयता प्रमाण पत्र 31 दिसम्बर 2022 तक का संलग्न करना आवश्यक है ।
4. दरें जी. एस. टी. तथा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा देय समस्त करों सहित देनी होगी।
5. बोली ऑन–लाईन प्रस्तुत की जावेगी एवं निर्दिष्ट कॉलमों में प्रविष्टी की जावेगी।
6. निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
7. इच्छुक निविदादाता को दरें केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा देय समस्त प्रकार के करों सहित देनी होगी तथा राजकीय निर्देशों अनुसार नियमानुसार आयकर व अन्य देय करों की कटौति की जायेगी।
8. दरें शब्दों एवं अंकों दोनो में लिखी जावे इसमें कोई त्रुटि एवं अपरलेखन स्वीकार नहीं किया जावेगा। अंकों एवं शब्दों में लिखी दर में अन्तर होने पर शब्दों में लिखी दर को सही माना जावेगा।
9. निविदाएं उनके खोले जाने के दिनांक से एक वर्ष तक के लिए विधि मान्य होगी।
10. निविदादाता अपनी संविदा या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या सबलेट नहीं करेगा।
11. निविदादाताओं का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
12. **बयाना राशि** :–

    (क) निविदा के साथ निर्धारित बयाना राशि प्रस्तुत की जावेगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। यह राशि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर के पक्ष में नगद रसीद/शिड्यूल बैंक का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक में से किसी रूप में जमा कराई जा सकती है।

    (ख) असफल निविदादाता को बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथा समय संभवतः शीघ्र लौटा दी जावेगी।

    (घ) अनुमोदन की प्रतिक्षा करने वाली या रद्द की गई या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण परिषद कार्यालय के पास जमा बयाना राशि प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जावेगा।
13. **बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में जब्त की जा सकती है :**

    (क) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।

Scanned with OKEN Scanner

(ख) जब निविदादाता विनिर्दिष्ठ समय के भीतर विहित करार को निष्पादित नही करता है।
(ग) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूती राशि जमा नही कराता हो।
(घ) जब निविदादाता निर्धारित समय के अन्तर्गत आदेशों के अनुसार कार्य प्रारंभ करने में असफल रहता है अथवा सन्तोषजनक सेवायें देने में असमर्थ रहता है।

14. करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः

(क) सफल निविदादाता को आदेश प्राप्त होने के तीन दिन की अवधि के भीतर एक 500/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर (करार पत्र) निष्पादित करना होगा तथा प्रावधित व्यय जिसके लिए निविदा स्वीकार की गई है उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति राशि निविदा को स्वीकार किये जाने की सूचना प्रेषित किये जाने की दिनांक से सात दिन में जमा करानी होगी।
(ख) निविदा के समय जमा कराई गई बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जायेगा।
(ग) प्रतिभूति राशि का परिषद द्वारा कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
(घ) प्रतिभूति राशि के रूप में नगद रसीद/शिड्यूल बैंक का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक मान्य होंगे।

15. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में जब्त की जा सकती हैः-

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हों।
(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
(ग) प्रतिभूति निक्षेप को जब्त करने के मामले में युक्ति युक्त नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में परिषद के अधिकारियों का निर्णय अन्तिम होगा।
(घ) कार्य के असफल रहने पर परिषद द्वारा तुरन्त वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। उसमें जो भी अतिरिक्त व्यय होगा निविदादाता द्वारा पुर्नभरण किया जावेगा तथा उसकी प्रतिभूति राशि अथवा उसको देय भुगतान से समायोजनीय होगा। यदि वसूल करना संभव नही हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रदत्त अन्य किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। करार पत्र को पूर्ण एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा परिषद को उस करार पत्र की निष्पादित स्टाम्प शुद्वा प्रति पडत निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

16. भुगतान करने पर किये गये व्यय/प्रेषण भार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
17. यदि निविदादाता ऐसी कोई शर्ते आरोपित करता है, जो उसमे वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उसके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप से कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा।
18. परिषद को किसी भी निविदा स्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताये निविदा को रदद करने का अधिकार अपने पास आरक्षित होगा।
19. यदि संविदा के निर्णय आशय या संविदा की शर्तो के उल्लघन के संबंध में काई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद के लिए परिषद का निर्णय अन्तिम होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।
20. ठेकेदार को किये जाने वाले समस्त प्रकार के भुगतान में से आयकर एवं जी.एस.टी. कर की राशि की (नियमानुसार) कटौती की जावेगी, जिसे संबंधित विभाग में जमा करा दी जावेगी।
21. ठेकेदार को तरणतालो में पूर्णरूप से स्वच्छता रखनी होगी। तरणताल स्वच्छ नही पाये जाने अथवा बन्द पाये जाने पर अन्तर्राष्ट्रीय तरणताल की शास्ती 3500/- रू प्रतिदिन, सर्वकालिक तरणताल की शास्ती 2500/- रू प्रतिदिन व मिनी तरणताल की शास्ती 1500/- रू प्रतिदिन होगी एवं फर्म को उस दिन का भुगतान भी देय नही होगा।
22. सफाई सामग्री व रसायनों मे किसी प्रकार की मिलावट पाई गई तो सामग्री जब्त कर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
23. स्वच्छता के लिए केयर टेकर/प्रभारी अधिकारी तरणताल द्वारा दिये गये समस्त आदेशों की पालना ठेकेदार को करनी होगी तथा बिना किसी विवाद के ठेकेदार को कार्य करना होगा।
24. ठेके की अवधि में कार्य संबंधी यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस विवाद पर अध्यक्ष, रा0रा0क्री0प0 जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा जिसको ठेकेदार मान्य करेगा।
25. संचालन एवं रखरखाव हेतु ठेका प्रारम्भ दिनांक से 3 माह तक के लिए दिया जावेगा। कार्य उत्कृष्ट होने पर ठेके की अवधि आगे बढाई/घटाई जा सकेगी।
26. ठेकेदार द्वारा नियुक्त जीवनरक्षक/प्रशिक्षक, सफाई कर्मचारियों एवं अन्य मजदूरों को दैनिक मजदूरी राज्य सरकार के नियमानुसार प्रतिमाह देय न्यूनतम मजदूरी प्रावधान से कम देय नही होगी। 18 वर्ष से कम आयु के कार्मिकों को नियोजित नहीं किया जावेगा तथा नियोजित कार्मिको की

Scanned with OKEN Scanner

पूर्ण सूची मय फोटो, पते, पहचान व पुलिस वेरिफेकेशन परिषद को दी जावेगी। निविदादाता को तरणताल के संचालन एवं रख–रखाव हेतु आवश्यक पंजीकरण दस्तावेज की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना वांछनीय है।

27. राज्य सरकार के नियमानुसार दैनिक मजदूरों को देय ई. एस. आई., ई. पी. एफ. का भुगतान संवेदक को अपने स्तर पर करना होगा । इस हेतु परिषद किसी भी रुप में उत्तरदायी नहीं होगा ।
28. तरणताल प्रातः एवं सायंकाल दो पारियों में चलाए जाते है समय का निर्धारण परिषद द्वारा किया जावेगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान ठेकेदार किसी प्रकार का विघ्न नही डालेगा एवं प्रशिक्षण समय परिषद द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो के अनसार रहेगा।
29. तीनों तरणतालों के भवनों, मशीनो एवं अन्य सामान को ठेकेदार किसी प्रकार का नुकसान नही पहुचाएगा ऐसा करते हुए पाए जाने पर परिषद नुकसान की वसूली ठेकेदार से नियमानुसार करेगा।
30. संचालन एवं रखरखाव के कार्य हेतु ठेकदार परिषद के किसी भी अधिकारी कर्मचारी एवं उनके रिश्तेदारो का नही लगाएगा।
31. सत्र समाप्ति पर तीनों तरणतालो को अच्छी तरह सफाई करने एवं समस्त मशीनो को पूर्णरूप से चालित अवस्था में परिषद को संबंधित अधिकारी को सौंपना होगा।
32. तरणतालो के अन्दर आने जाने एवं उपयोग में लेने वाले प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियो की अनुमति परिषद द्वारा ही जारी की जावेगी। ठेकेदार अपने स्तर पर किसी को अन्दर जाने की अनुमति नही दे पाएगा।
33. उपरोक्त निविदा शर्तों में शिथिलता प्रदान करने एवं न्यूनतम दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष, रा0रा0क्री0प0 जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
34. ठेके की शर्तो का उल्लंघन करने पर ठेका बिना किसी नोटिस के समाप्त किया जा सकता है
35. किसी माह में संचालन एवं रख–रखाव का कार्य पूरे माह नही कराया जाता है तो किए गए कार्य दिवसों का भुगतान अनुपातिक आधार पर किया जाएगा।
36. आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की शर्ते व प्रावधान लागू होंगे।
37. अन्तर्राष्ट्रीय/सर्वकालिक/मिनी तरणताल के रखरखाव, सुरक्षा एवं सफाई के निरीक्षण हेतु परिषद द्वारा अधिकृत अधिकारी की रिर्पोट के आधार पर ठेकेदार को भुगतान देय होगा।
38. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा परिषद को उस करार पत्र की निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रति पडत निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।
39. सफल बोलीदाता को **कार्य आदेश जारी तिथि के 7 दिवस के अन्दर कार्य प्रारम्भ करने हेतु बाध्य** होगा, अन्यथा आर.टी.टी.पी. नियम 2013 के तहत पेनल्टी वसूलनीय होगी।
40. यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा/अवधि से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित प्रदाय करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेंगें परन्तु शर्त यह है, कि ऐसे पुर्नआदेश मूल रूप से प्रदान कार्य आदेश के 50 प्रतिशत तक के अतिरिक्त प्रदाय के लिए ही होगें।
41. **परिसमापित नुकसानी** :–

(1) परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा है:–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक के लिए 7.5%
(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए 10%

(2) प्रदाय में विलम्ब अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में परिषद को आवेदन करेगा। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

Scanned with OKEN Scanner

42. **वसूली** :—परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट—फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट—फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसे देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

43. **भुगतान** :—

(क) बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में लोक उपापन नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे। किसी भी सूरत में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

(ख) विवादास्पद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

(ग) उन मामलों में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाये तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित निर्देशों के अनुरूप हों।

44. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :—

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो "पार्टनरशिप डीड" की अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्तव के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण—पत्र।

45. संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में या अन्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर परिषद का निर्णय अन्तिम होगा।

46. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो जयपुर स्थित न्यायालय में ही की जाएगी। अन्यत्र नहीं की जाएगी।

47. जी.एफ. एण्ड ए.आर.,राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधान लागू होगें।

उपरोक्त निविदा से संबंधित प्रतिबंध एवं शर्ते, मैने/हमने पढ ली है और यह प्रतिबंध एवं शर्ते मुझे/हमें स्वीकार्य है तथा संचालन एवं रखरखाव के समस्त कार्यो की दरें मय सामग्री एवं रसायनो के हमने दी है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
(मय नाम पता एवं मोहर)

Scanned with OKEN Scanner

न्यूनतम 5 वित्तीय वर्षों में किसी भी 1 वित्तीय वर्ष में राजकीय/अर्द्धशासकीय/स्वायतशाषी संस्था में किये गये तरणताल के संचालन एवं रखरखाव के अधिकतम मूल्य के कार्य–आदेश की सूची

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	सम्पादित कार्य का नाम	कार्य आदेश संख्या व दिनांक	अनुबन्ध संख्या	संस्था का नाम जिससे कार्य आदेश प्राप्त हुआ है (जिला व राज्य सहित)	राशि (रूपये)

- नोट :–उपरोक्त के प्रमाण हेतु आपूर्त्ति आदेश की छाया प्रति तथा सम्बन्धित संस्था द्वारा जारी सन्तोषजनक कार्य परफोर्मेन्स का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा ।
- वित्तीय वर्ष का आशय 01 अप्रेल से 31 मार्च है ।
- कार्य आदेश जिस वित्तीय वर्ष में जारी है, वह उस वित्तीय वर्ष का कार्य आदेश कहलायेगा ।

हस्ताक्षर ई–बिडर

Scanned with OKEN Scanner

ऐनेक्सर–"क"

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा जो तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत की जानी है

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिस कार्य के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाईड सवेंदक/अधिकृत एजेन्सी हूँ निविदा सूचना में मेरे/हमारे द्वारा दी गयी समस्त सूचना एंव दस्तावेज सही है।

मैं आदिनांक तक किसी भी संस्था द्वारा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हूँ ।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो हमारे विरूद्ध सभी विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी। हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहरत कर लिया जाएगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा एवं हमें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम, 2013 के अन्तर्गत अनर्हकारी माना जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

बोलीदादाता का नाम————————————

पूर्ण पता————————————————

————————————————

————————————————

————————————————

टेलिफोन नं. (निवास)——————————

(कार्यालय).——————————

फैक्स/ई–मेल ——————————

Scanned with OKEN Scanner

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) Disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

(a) Have controlling partners/shareholders in common; or

(b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

(c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or

(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

(e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or

(f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Work/supplys or services that are the subject of the Bid; or

(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Scanned with OKEN Scanner

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

<u>Declaration by the Bidder</u>

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of ....in response to their Notice inviting Bids No...............Dated................I/we ....hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payble to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place:

Signature of bidder Place :

Name :

Designation:

Address:

Scanned with OKEN Scanner

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Chairman, RSSC, The designation and address of the Second Appellate Authority is **Principal Secretary** Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan.

(1) Filing an appeal:-

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases:- No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement

(b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations

(d) Cancellation of a procurement process

(e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeals:-

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,

(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or though registered post orauthorised representative.

(6) Fee for filing Appeal:-

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be nonrefundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

P

Scanned with OKEN Scanner

(7) Procedure for disposal of Appeal:-

(a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority, as the case may be shall- (i) hear all the parties to appeal present before him; and (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

Scanned with OKEN Scanner

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. It there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Work/supplys or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Scanned with OKEN Scanner

SCHEDULE 'H': CONDITION OF CONTRACT

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012

Appeal No……………………………………………of ……………………………………………Before the……………………
……………………………(First/Second Appellate authority).

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the office/authority that passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant propose to be represented by a representative the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: ……………………………………………………………………………… (Supported by an affidavit)
7. Prayer:……………………………………………………………………………

Place:……………………
Date: ……………………

Appellant's Signature

Scanned with OKEN Scanner

Format of Certificate

It is certified that I/We (Name of Contractor/Firm/Individual) .... has/have paid wages applying the provisions of the Minimum Wages Act, 1948 for the month of .... Further, I/We hereby certify that I/We have also complied with the provisions of all relevant Act and Rules.

Date :

Signature of Authorised Signatory
(Name)

....
Name of the Contractor/Firm/Individual
(With Seal)

Scanned with OKEN Scanner

घोषणा

मैने/हमने राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर में तरणतालों के संचालन एवं रख–रखाव हेतु बोली के नियम एवं शर्तो को भली–भॉति पढ व समझ लिया है। मुझे/हमारी फर्म को किसी भी विभाग द्वारा ब्लेक–लिस्ट नहीं किया गया है। इन शर्तो एवं नियमों के अधीन मैं/हम राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर में तरणतालों के संचालन एवं रख–रखाव कार्य करने हेतु सहमत एवं वचनबद्व हूॅ/है। यदि मेरे/हमारे द्वारा की किसी बोली की शर्तो, नियमों अथवा आदेशों का उल्लंघन किया जावेगा तो सक्षम अधिकारी द्वारा मेरे/हमारे विरूद्व बोली के नियम/शर्तो के उल्लंधन की कार्यवाही करने के लिए अधिकृत होगा। इस सम्बन्ध में मुझे/हमें सक्षम/अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा तथा इसमें मुझे/हमको कोई आपत्ति/हस्तक्षेप नहीं है।

हस्ताक्षर बोलीदाता...

नाम/पता ....

....

टेलीफोन नं. ....

दिनांक ....

Scanned with OKEN Scanner

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

ई–बोली संख्या ..../2022–23 दिनांक ....

कार्य का नाम :– सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर स्थित अन्तर्राष्ट्रीय, सर्वकालिक एवं मिनी तरणताल के संचालन एवं रख–रखाव हेतु

निविदादाता का नाम व पता..

....

क्र0 सं0	विवरण	संलग्न किये गये (हाँ/नहीं)	पृष्ठ संख्या जिस पर संलग्न है
1.	निविदा प्रपत्र मय शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर संलग्न किया।		
2.	तकनीकी बिड़ के साथ बयाना राशि का बैंकर्स चैक/डी.डी. संलग्न है।		
3.	सरकारी विभाग में पंजीयन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न की गयी है ।		
4.	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है।		
5.	जी.एस.टी. देयता (PAID) प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न की गई। (31 दिसम्बर 2022 तक) GSTR-3B PERFORMA में		
6.	तरणताल के बिड़ हेतु **(i)** निविदादाता/फर्म का गत 5 वर्षों (2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22) में से किसी भी एक वित्तीय वर्ष में राजकीय/अर्द्धशासकीय/स्वायतशाषी संस्था में किये गये के तरणताल के सफल संचालन एवं रख–रखाव कार्य का कम से कम राशि रूपये 9.00 लाख रूपये का एकल कार्य आदेश अथवा किसी भी एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख के दो कार्यादेश या 4.00 लाख के तीन कार्यादेश एवं संतोषजनक सेवा का प्रमाण–पत्र संलग्न किया है।		
	(ii) निविदादाता/फर्म का विगत 3 वित्तीय वर्ष (2019–20, 2020–21 एवं 2021–22) में औसत वार्षिक टर्न ओवर 24.00 लाख से कम नही होने का प्रमाण पत्र सीए से प्रमाणित की प्रति मय यूडीआई नम्बर सहित संलग्न किया है।		
7.	Certificate for Propritership or Authorization by Firm/		
8.	PAN No. की छाया प्रति संलग्न है।		
9.	अन्य कोई दस्तावेज जो निविदादाता संलग्न करना चहाता है।		

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय सील

Scanned with OKEN Scanner